संख्या-56/2026/893-001-5-9002-003-4-2021

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 18 मई, 2026

विषय:- SNA स्पर्श व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अनुदान सं0-81 राजस्व लेखा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 955.00 लाख तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 636.67 लाख सहित कुल धनराशि रू0 1591.67 लाख की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु0-81/एन0एच0एम0//2026-27/100, दिनांक 08.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि SNA स्पर्श व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-81 राजस्व लेखा, 2211-परिवार कल्याण, 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 4063, 0101-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.) 4063-यूपी27, 42-अन्य व्यय के अवमुक्त केन्द्रांश रू0 955.00 लाख (रूपये नौ करोड पचपन लाख मात्र) तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 636.67 लाख (रूपये छ: करोड छत्तीस लाख सडसठ हजार मात्र) सहित कुल धनराशि रू0 1591.67 लाख (रूपये पंद्रह करोड इक्यानबे लाख सडसठ हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करती है:-

(1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

(6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(8) केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(9) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 तथ्यों एवं आंकड़ों तथा वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति की शर्तों/प्रतिबंधों/सक्षम स्तर से अनुमोदन से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,91,67,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ इक्यानबे लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 081 लेखा शीर्षक 2211007960101 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-11/दस-26-27, दिनांक 18 मई, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-56 /2026/893(1)-001-5-9002-003-4-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- वित्त (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
10- कम्प्यूटर सेल/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in